



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 305 राँची, सोमवार,

14 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

27 मई, 2021

संख्या--5/आरोप-1-14/2021-5775 (HRMS)-- श्रीमती सुनीता कुमारी, झा0प्र0से0(5th Batch), अंचल अधिकारी, सरिया के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-632/रा0, दिनांक 12.03.2021 द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया के गैरमजरूआ खाता संख्या 200 में प्लॉट संख्या 1839, रकबा 01 ए० 60 डीओ रैयत भरथ कोयरी के नाम दिनांक 06.06.2018, प्लॉट संख्या 4017, रकबा 15.5 डीओ रैयत दुलारी देवी के नाम दिनांक 05.01.2020 प्लॉट संख्या 4771, रकबा 2.6 डी० रैयत महेश कुमार मोदी के नाम दिनांक 23.08.2019 को ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

2. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्रीमती कुमारी को

झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SUNITA KUMARI (110072812327)	श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	27/05/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3282
